न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 06/2015 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र गुल्लाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम लीलोज तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष सहायक कलक्टर बान्दीकुई
2. रामलाल पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी ग्राम लीलोज तहसील बसवा
3. तहसीलदार बसवा

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 6.12.2004 बहक अप्रार्थी सं0 2 रामलाल पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी लीलोज तहसील बसवा जिला दौसा

उपस्थिति : श्री रामावतार गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री हेमराज गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः 20.05.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम लीलोज तहसील बसवा में आराजी खसरा नम्बर 98/615, 99/595, 99/616 कुल रकबा 039 है0 स्थित है। जिस पर प्रार्थी उजरदार का कब्जा आवंटन के समय से भी पूर्व से चला आ रहा है, को अप्रार्थी नं0 2 ने आवंटन कमेटी को फ्राड व मिसरिप्रजेन्टेशन करके गलत तौर से पटवारी आदि से साज करके अपने हक में दिनांक 06.12.2004 को करवा लिया। जिसकी प्रार्थी उजरदार को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त आवंटन के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमराज गुर्जर उपस्थित आये एवं दस्तावेज की सूची मय दस्तावेज पेश की गई। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त आवंटन सरासर गलत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 98/615, 99/595, 99/616 कुल रकबा 039 है0 आवंटन किया गया है। इस भूमि पर प्रार्थी उजरदार का कब्जा अप्रार्थी नम्बर 2 को किया उससे भी पूर्व से लगातार चला आ रहा है। उक्त भूमि में गहरे खड्डे, नले थे जिनको भरवाकर भूमि को समतल कराया गया है। जिसमें प्रार्थी उजरदार के काफी रूपये खर्च हो गये। प्रार्थी ने बोरिंग करा रखा है और सिंचाई के लिए पाईप लाईन लगा रखी है जिसकी जानकारी अप्रार्थी नम्बर 2 को शुरू से ही है परन्तु इस संबंध में कभी भी आपत्ति नहीं की। अब उक्त भूमि को अपना कब्जा करने को प्रयासरत है। अप्रार्थी संख्या 2 ने आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की है। आवंटन करने से पूर्व [illegible] बनाई और ना ही उदघोषणा जारी की गई । आवंटन चुपचाप कर दिया गया है। अप्रार्थी नम्बर [illegible] भूमिहीन भी नहीं था उसकी खातेदारी भूमि जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 172, 227 [illegible] 0.24 [illegible] उसकी खातेदारी में दर्ज है। उक्त आवंटित भूमि के संबंध में बिना कोई जांच किये ही मौके के [illegible] अप्रार्थी नम्बर 2 को आवंटन किया गया है। उक्त भूमि सेटलमेंट से अभी तक प्रार्थी की खातेदारी [illegible] रही है। आवंटन हेतु [illegible] आवेदन पत्र पर मात्र अंगूठे का निशान है यह किसका है, नहीं लिखा हुआ है। आवंटिति के पिता के नाम 0.84 है0 भूमि थी। अतः उक्त अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा फ्रोड व मिस रिप्रजेन्टेशन करके जो आवंटन करवाया गया है उसको निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.06.07 18:09:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि उक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 के आवंटन सलाहकार समिति ने विधिवत रूप से किया है। आवंटन से पूर्व उदघोषणा जारी की गई है एवं आवंटन मजमें आम में किया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटिति का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा खातेदारी आवंटी के नाम दर्ज हो चुकी है। उक्त आवंटन के विरूद्ध पूर्व में इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 25/2012 प्रार्थना पत्र 14(4) उनवान ईश्वर राम बनाम रामलाल पेश किया गया है जिसमें तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2014 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जाकर अप्रार्थी रामलाल पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी लीलोज तहसील बसवा जिला दौसा को किया गया आवंटन दिनांक 06.12.2004 यथावत रखा गया है। अब पुनः उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिससे जाहिर होता है कि आवंटी के विरूद्ध बार–बार प्रार्थना पत्र पेश कर हैरान, परेशान किया जा रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजात पेश नहीं किये गये है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार उक्त आवंटन के विरूद्ध पूर्व में इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 25/2012 प्रार्थना पत्र 14(4) उनवान ईश्वर राम बनाम रामलाल पेश किया गया है जिसमें तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2014 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जाकर अप्रार्थी रामलाल पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी लीलोज तहसील बसवा जिला दौसा को किया गया आवंटन दिनांक 06.12.2004 यथावत रखा गया है। प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 06.12.2004 के विरूद्ध पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है। इसलिए पुनः निर्णय किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 06.12.2004 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ मूल आवंटन पत्रावली जिला अभिलेखागार को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.06.07 18:09:24 IST
Reason: SelfAttested